



महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांक:एफ.1()संस्था/मदसविवि/2026/

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9829/2018 डॉ० सर्वेश्वर पालरिया बनाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर व अन्य में दिनांक 17.02.2026 को पारित आदेश "In view of discussion made hereinabove, the writ petition No. 9829/2018 is hereby allowed and the respondents are directed to release gratuity and any other due of the petitioner at earliest. The petitioner is also entitled for interest @ 9% per annum on delay beyond two months from date when the gratuity became due after retirement of the petitioner" की अनुपालना में कुलगुरु महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (अद्यतन संशोधित-2020) की धारा 19 (18) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डॉ० सर्वेश्वर पालरिया, सेवानिवृत्त आचार्य को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में दिनांक 17-12-1993 से 30-09-2016 तक की गई सेवा अवधि (22 वर्ष 09 माह 14 दिन) के लिये देय उपादान राशि एवं 09 प्रतिशत वार्षिक दर से देय सेवानिवृत्ति तिथि के 02 महीने पश्चात् से ब्याज की गणना करते हुए राशि का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रतिवेदनीय होंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

कुलसचिव

क्रमांक:एफ.1()संस्था/मदसविवि/2026/15868-77

दिनांक:- 16-10-26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. वेब एडमिनिस्ट्रेटर, मदसविवि, अजमेर।
2. वित्त नियंत्रक/ए० सी० पी०, मदसविवि, अजमेर।
3. उपकुलसचिव-विधि, मदसविवि, अजमेर।
4. सहायक कुलसचिव-लेखा एवं वित्त, मदसविवि, अजमेर।
5. कुलगुरु सचिवालय, मदसविवि, अजमेर।
6. निजी सहायक-कुलसचिव, मदसविवि, अजमेर को सूचित कर लेख है कि संबंधित को ई-मेल प्रेषित करावें।
7. बिल सहायक-लेखा एवं वित्त अनुभाग, मदसविवि, अजमेर।
8. डॉ० सर्वेश्वर पालरिया, सेवानिवृत्त आचार्य, निवासी-रतना कुंज, 4/28, मेयो लिंक रोड अजमेर। (पंजीकृत)
9. रक्षित पत्रावली संस्थापन अनुभाग, मदसविवि, अजमेर।

सहायक कुलसचिव (संस्थापन)